

an>

Title: Need to increase the number of houses being constructed under Indira Awas Yojana for BPL card holders.

**श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंडिया) :** महोदय, देश में वर्ष 2001 में जो जनगणना हुई, उसके माध्यम से जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें हम बी.पी.एल. के लोग कहते हैं, वर्ष 2005-06 में योजना बनी, संविधान के अधिकार के आधार पर उन्हें मकान देने की बात भी उसमें रखी गई। वर्ष 2005-06 में जो योजना बनी, उसके अंतर्गत इंदिया आवास के मकान अभी तक नहीं बने हैं। वर्ष 2011 में पुनः जनगणना हुई। उसमें बहुत से लोगों का नाम निकलने वाला है। मैं भंडारा-गोंडिया क्षेत्र से आता हूँ। जब मैंने वार दिन पहले जानकारी ली, तब पता कि दोनों जिलों में 1,25,000 लोग, जिनका नाम बी.पी.एल. लिस्ट में है, उन्हें आज तक मकान नहीं मिले। देश में वर्ष 2001 में जिन लोगों का बी.पी.एल. की लिस्ट में नाम था, उन सबको इंदिया आवास के मकान मिलने चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र के कोटे में वृद्धि की जाए, मैं यह मांग रखता हूँ।